

अध्याय-VI : निष्कर्ष

6.1 रक्षा सम्पदा प्रबन्धन की निष्पादन लेखापरीक्षा ने भूमि प्रबंधन के सभी पहलुओं पर निराशाजनक निष्पादन की ओर संकेत दिया। भूमि नियमों के मामले में, भूमि की आवश्यकता से संबंधित नियम निर्धारित करने वाले रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश अनेक कमियों से ग्रस्त थे। इससे सेनाओं और छावनियों के पास अनेक एकड़ फालतू भूमि की वृद्धि हुई है, जिससे स्पष्टतया भूमि प्रबन्धन को-विशेषतया अतिक्रमण और गलत उपयोग से बचने से संबंधित-जैसा कि यह अन्यथा होता, अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इसके साथ-साथ आधुनिकीकृत अभिलेखों तथा मंत्रालय के पक्ष में दाखिल-खारिज के अभाव ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें उत्तरदायित्व का पूर्ण अभाव है। स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों और रक्षा संपदा अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों में बड़ा अन्तर था और वास्तव में डी.ई.ओ.के. के अभिलेख तो निराशाजनक स्थिति में थे। भूमि अभिलेखों के रक्षा संपदा संगठन द्वारा किए जा रहे कम्प्यूटरीकरण में प्रगति नहीं हुई। बड़ी मात्रा में भूमि रक्षा मंत्रालय के पक्ष में दाखिल-खारिज होनी अभी शेष थीं। मामलों की स्थिति अतिक्रमण तथा भूमि हड़पे जाने के जोखिमों से भरी थी।

6.2 रक्षा सम्पदा का प्रबंध करने वाली एजेंसियों की बहुतायात ने भी कुप्रबन्ध में योगदान दिया है। कोई भी केन्द्रीकृत सूचना बेस उपलब्ध नहीं था और जिम्मेदारियाँ बिखरी हुई थीं। मंत्रालय के पास अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने के लिए साधन अपर्याप्त थे जिसका परिणाम उन मामलों के खराब पर्यवेक्षण तथा संचयन में हुआ जिनके लिए मंत्रालय सक्षम प्राधिकारी है।

6.3 रक्षा मंत्रालय, जो भूमि से संबंधित बहुत से लेन-देनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी है, के पास केवल एक अनुभाग है जो बड़ी संख्या में मामलों को संभालने में पूर्णतया अपर्याप्त है। लेखापरीक्षा के दौरान, यह नोटिस किया गया कि जिम्मेदारी और परिणामस्वरूप जवाबदेही की रेखाएं अस्पष्ट थीं तथा रक्षा सम्पदा प्रबंधन के बहुत से पहलुओं पर किसी एजेन्सी ने जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की। बहुत सी लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रति जवाबों से संकेत मिला कि ऐसी टिप्पणियों को विभिन्न एजेंसियों के बीच उछाला गया था। जबकि स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा वांछित सूचनाएं मंत्रालय या डी.जी.डी.ई. के पास उपलब्ध होंगी, वहीं डी.जी.डी.ई. और मंत्रालय के पास ये सूचनाएं उपलब्ध नहीं थीं तथा लेखापरीक्षा को कहा कि उन्हें वह स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों से प्राप्त करें।


संस्तुति 14

रक्षा भूमि प्रबन्धन पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करने तथा इसे अधिक पेशेवराना बनाने के लिये तथा रक्षा भूमि के प्रबन्धन हेतु उत्तरदायी विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय की कमी की समस्या से पार पाने के लिये यह आवश्यक है कि समस्त रक्षा भूमि के प्रबन्धन हेतु एक एकल स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना की जाये जिस पर समग्र उत्तरदायित्व हो। यह मानते हुए कि यह प्राधिकरण सभी सेनाओं तथा छावनी परिषद इत्यादि जैसी अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करेगा, इसका स्वरूप एक अन्तर्संवा संगठन की तरह होना चाहिये जिसकी परिषद में सभी सेनाओं और रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधित्व हो। प्राधिकरण को एक स्वायत्त निकाय की तरह कार्य करना चाहिये तथा अधिमान्य रूप से रक्षा मंत्री को इसका प्रमुख होना चाहिये। डी.जी.डी.ई. को इस प्राधिकरण के नियंत्रण में कार्य करना चाहिये। स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों तथा रक्षा सम्पदा कार्यालयों को किसी भी रूप में और तरीके से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने सहित भूमि के निपटान हेतु प्रदत्त शक्तियों को वापस ले लिया जाना चाहिये तथा इन्हें रक्षा भूमि प्रबन्धन प्राधिकरण में निहित कर दिया जाना चाहिये।

संस्तुति 15


रक्षा भूमि के प्रबन्धन में पारदर्शिता के हित में ओल्ड ग्रान्ट साइट्स को सम्मिलित करते हुए धारित भूमि का विवरण बेवसाईट पर सार्वजनिक दायरे में होना चाहिए। उनसे संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने, इमारतों की डी-हायरिंग आदि जैसे किसी भी लेन-देन को ऐसे लेन-देन के 15 दिन के अन्दर सार्वजनिक दायरे में डाल देना चाहिए।

नई दिल्ली
दिनांक 11मार्च 2011


(गौतम गुहा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
रक्षा सेवाएं

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 11मार्च 2011


(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक